संख्या: 27/2020/1722/12-2-2020

प्रेषक,

डा0 देवश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2020

विषय: लाक डाऊन अवधि (शनिवार, रविवार) को खाद, बीज एवं कीटनाशक की दुकाने खुली रखने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: 1755/2020/ सीएक्स-3 दिनांक 14 जुलाई, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम हेतु प्रदेश में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रात: 5.00 बजे तक लाक डाउन लागू किए जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. आप अवगत हैं कि वर्तमान में प्रदेश में समय से अच्छी वर्षा होने के कारण खरीफ फसलों का आच्छादन अधिक होने के दृष्टिगत कृषकों के मध्य खाद, बीज एवं कीटनाशक की मांग बढ गई है। प्रदेश में खाद, बीज एवं कीटनाशकों की पर्याप्त उपलब्धता है।

3. उल्लेखनीय है कि कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या: 41/कृ0उ0आ0/2020 दिनांक 29 मार्च, 2020 द्वारा भी नोबल कोरोना वायरस की आपदा के दृष्टिगत लाक डाउन अवधि में किसानों/नागरिकों के उपयोगार्थ आवश्यक सेवाओं यथा सामान्य कृषि कार्य आदि की आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में खाद, बीज आदि से संबंधित बिक्री केन्द्र (थोक/फुटकर) खुली रखने के निर्देश दिये गये हैं।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषकों को खाद, बीज एवं कीटनाशकों के क्रय में किसी प्रकार की असुविधा न हो, के दृष्टिगत लाक डाउन अवधि अर्थात शनिवार व रविवार को उक्त प्रतिष्ठान की दुकानें/केन्द्र खुले रहने के निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 27/2020/1722(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी समस्त संबंधित को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
3. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

विद्या शंकर सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।